# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 152/2017** **दायर दिनांकः 27/09/2017**

**उनवान**

1. अमरलाल पुत्र नेनगा जाति मीणा निवासी डडवाड़ा तहसील अटरू (मृतक)

1/1 पप्पूबाई पत्नी कृष्णचन्द्र मीणा जाति मीणा निवासी डडवाड़ा

1/2 मनभरबाई पत्नी धन्नालाल जाति मीणा निवासी डडवाड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**वादीगण**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**प्रतिवादी**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91,188 आर.टी.एक्ट**

**उपस्थिति :—**

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

**आदेश** दिनाक : 19/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल डडवाड़ा तहसील अटरू जिला बारां में खाता सं0 39 की ख0नं0 173 की 0.02 है0, ख0नं0 174 की 0.12 है0, ख0नं0 175 की 0.09 है0, ख0नं0 176 की 0.20 है0, ख0नं0 177 की 0.25 है0 ख0नं0 178 की 0.77 है0 कुल किता 6 की 1.45 है0 भूमि दुर्गाशंकर ना0बा0 पुत्र किशना जर्ये वली काका मंगला जाति मीणा निवासी डडवाड़ा तहसील अटरू जिला बारां के खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि दुर्गाशंकर पुत्र किशना के खाते दर्ज थी। जिसकी मृत्यु दिनांक 29.07.2017 को हो चुकी है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है। खातेदार दुर्गाशंकर वादीगण का भतीजा था जो बचपन से ही वादीगण के पास निवास करता था और वादीगण ही उसके भरण पोषण शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी निर्वहन करते थे। दुर्गाशंकर खातेदार अविवाहित था जिसके कोई संतान नही थी जिसके वारिसान में वादीगण जो कि उसके काका लगते है वह ही है जिनके अतिरिक्त अन्य कोई वारिसान नही है। और वादीगण ही उक्त आराजी पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। जो स्वयं भी अविवाहित है। चूंकि खातेदार दुर्गाशंकर की मृत्यु हो जाने के कारण

वादीगण का ही एकमात्र वादीगण ही सम्पत्ति में अधिकार बनता है। इसलिये वादीगण ने दिनांक 20.09.2017 को प्रतिवादी से उक्त आराजी पर इंतकाल खुलवाकर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने आराजी वादीगण के खाते दर्ज करवाने से मना कर दिया। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादीगण के खाते दर्ज होना सम्भव नही है। यदि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादीगण के खाते दर्ज नही की गई तो प्रतिवादी किसी अन्य व्यक्ति के नाम इंतकाल खोलकर जमीन खाते दर्ज कर देगा जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी। अस्तु वादीगण वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने व प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है कि वह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को किसी अन्य के खाते दर्ज नही करें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें न अपने प्रतिनिधियों से करावें। वाद कारण दिनांक 29.07. 2017 को खातेदार दुर्गाशंकर की मृत्यु होने पर एवं दिनांक 20.09.2017 को वादीगण द्वारा वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर प्रतिवादी से इंतकाल खोल अपने खाते दर्ज करवाने का निवेदन करने पर व प्रतिवादी द्वारा मना करने पर प्रथम व अंतिम बार माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र मे उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित कर दिया है। लेकिन चूंकि मामला आवश्यक प्रकृति का है। यदि नोटिस की अवधि समाप्त होने का इंतजार किया गया तो प्रतिवादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को किसी अन्य व्यक्ति के खाते दर्ज कर देगा। जिससे वादीगण का वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेगा। इस कारण धारा 80 सी0पी0सी0 का पृथक से प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय न्यायालय की इजाजत से यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल डडवाड़ा मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश हैं वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी खाता सं0 39 की कुल किता 6 रकबा 1.45 है0 पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाकर प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का इंतकाल खोलकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम खाते दर्ज नही करें। वादीगण को शांतिपूर्वक अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करने देवें। जिसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करें न अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई। साक्ष्यवादी के तहत् $PW_1$ से $PW_5$ के बयान लेखबद्व किये, तथा रिकार्ड EXP करवाया गया वादी अमरलाल की मृत्यु हो जाने से वादी के कायम मुकमात बनाये जाकर रिकार्ड पर लिये गये।

तहसीलदार अटरू से रिकार्ड एक कब्जे बाबत् रिपोर्ट ली गई, जिसमें कथन किया गया कि ग्राम डडवाडा की वर्तमान खाता संख्या 35 गत जमाबन्दी संख्या 39 के ख0नं0 173 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 174 रकबा 0.12 ख0नं0 175 रकबा 0.09 है0 ख0नं0 176 रकबा 0.20 है0 ख0नं0 177 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 178 है0 रकबा 0.45 है0 भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 1.13 है0 जो कि दुर्गाशंकर पुत्र किशनलाल जाति मीणा सा0 डडवाडा के दर्ज है उक्त भूमि पर पप्पूबाई पत्नि कृष्णचन्द्र, मनभर बाई पत्नि धन्नालाल जाति मीणा सा0 डडवाडा का कब्जा है, एवं उक्त भूमि पर दौनों ने वर्तमान खाता संख्या 47 ख0नं0 613/178 रकबा 0.32 है0 जो कि पप्पूबाई पत्नि कृष्णचन्द्र, मनभर बाई पत्नि धन्नालाल जाति मीना के नाम है। उक्त भूमि पर दौनों खातेदारों ने वर्तमान में साग–सब्जी व चारा बो रखा है।

अतः श्रीमान को उक्त भूमि की रिकार्ड व मौके की स्थिति की रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है।

अभिभाषक वादीगण को सुना अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र मे अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि वाके माल डडवाड़ा खाता संख्या 39 की किता 6 रकबा 1.45 है0 भूमि दुर्गाशंकर ना0बा0 पुत्र किशना जर्ये वली काका मंगला मीणा के खाते दर्ज चली आ रही

है। दुर्गाशंकर पुत्र किशना की मृत्यु हो चुकी है। दुर्गाशंकर के कोई संन्तान नही थी वादीगण का काका लगता था दुर्गाशंकर की मृत्यु पश्चात वादीगण ही मात्र वारिस है। उक्त विवादित भूमि पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित भूमि ग्राम डडवाडा की खाता संख्या 39 किता 6 रकबा 1.45 है0 भूमि दुर्गाशंकर ना0बा0 के खाते दर्ज थी दुर्गाशंकर की शादी नही हुई थी और वह उसके काका मंगला व अमरलाल पुत्र नेनगा के पास रहता था इस बीच दुर्गाशंकर की मृत्यु दिनांक 29.07.2017 को हो गई, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। इसकी मृत्यु के बाद उसके काका मंगला एवं अमरलाल ने एक दावा पेश किया जिसमें दुर्गाशंकर की खाते की भूमि को अपने खाते दर्ज करने का निवेदन किया बाद में इसके बाद अमरलाल की दिनांक 15.11.2019 को मृत्यु हो गई, तथा मंगला की भी मृत्यु दिनांक 25.02.2018 को हो गई, चूंकि उक्त आराजी पप्पूबाई पत्नि कृष्णचन्द्र एवं मनभर बाई पत्नि धन्नालाल जाति मीणा निवासी डडवाडा ने एक इकरार नामा दिनांक 13.07.2017 एवं दिनांक 17.06.2019 एवं 25.05.2018 पेश किया जिस आधार पर पप्पू एवं मनभर बाई को सुना गया एवं पप्पूबाई व मनभर बाई को इकरार नामों के आधार पर कायम मुकामात बनाये गये है। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार खाता संख्या 39 किता 6 रकबा 1.13 है0 पर वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है। इकरारनामें से पाया गया कि उक्त भूमि को पप्पूबाई व मनभर बाई द्वारा दुर्गाशंकर को रकम देना साबित पाया गया एवं दुर्गाशंकर की भूमि का बैचान उसके वारिस मंगला एवं अमरलाल द्वारा बैचान करना पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

**—::क्रियात्मक आदेश::—**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विवाहित आराजी ग्राम डडवाड़ा की आराजी खाता संख्या 39 की किता 6 रकबा 1.45 है0 में से 1.13 है0 भूमि पर वादी क्रम 1/1 व 1/2 को बराबर—बराबर भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**

**(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)**

**आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)**

**बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)**

**प्रकरण सं0 152/2017**

**उनवान**

1. अमरलाल पुत्र नेनगा जाति मीणा निवासी डडवाड़ा तहसील अटरू (मृतक)

1/1 पप्पूबाई पत्नी कृष्णचन्द्र मीणा जाति मीणा निवासी डडवाड़ा

1/2 मनभरबाई पत्नी धन्नालाल जाति मीणा निवासी डडवाड़ा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**वादीगण**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**प्रतिवादी**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91,188 आर.टी.एक्ट**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

**बहाजिर :–**

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवाहित आराजी ग्राम डडवाड़ा की आराजी खाता संख्या 39 की किता 6 रकबा 1.45 है0 में से 1.13 है0 भूमि पर वादी क्रम 1/1 व 1/2 को बराबर–बराबर भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

**(कृष्णगोपाल जोजन)**
**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.03.2020 को जारी किया गया।

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

| **मुदई** | | **मुदालयह** | |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**



Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.01 14:14:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: